MOST IMMEDIATE

डॉ राजीव रंजन आईएएस
विशेष सचिव

Dr. Rajeev Ranjan *IAS*
Special Secretary

माल और सेवा कर परिषद
5वीं मंजिल, टावर 2, जीवन भारती बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

Goods and Services Tax Council
5th Floor, Tower 2, Jeevan Bharati Building
Connaught Place, New Delhi - 110001

F.No.03/Nominations/GST Council

30th November, 2018

To

The Chief Secretaries of all States / UTs with Legislature

Madam / Sir,

Subject: Posting of officers in the office of GST Council – regarding.

Goods & Services Tax Council (GSTC) Secretariat is a Constitutional body which has been constituted on 15th September, 2016. It is entrusted with the work of organising meetings of the GST Council including the drawing up of the agenda notes and preparing minutes of the Council meetings, assisting different Committees / Group of Ministers (GoM) constituted by the GST Council, examining various representations relating to GST Laws / Rules / Rates, administration and logistics etc. It also has the mandate to carry out tax research, print and publication and documentation relating to GST.

2. In the Goods & Services Tax Council Secretariat, officers from both the Centre and the States are eligible to work. In this regard, the Goods and Services Tax Council Secretariat invites nominations for appointment on deputation basis in the Secretariat for the below mentioned posts from the officers of the State Governments of the rank equivalent to the ones mentioned below:

S.No.	Name of the Post	Level in the revised pay Matrix	Number of posts
1.	Joint Secretary	14	02
2.	Director	13	02
3.	Deputy Secretary	12	02
4.	Under Secretary	11	04

3. The Recruitment Rules along with terms and conditions of appointment has been finalised in case of Director, Deputy Secretary and Under Secretary (copy enclosed) while the same in case of Joint Secretary is in the final stage of finalization.

4. At present, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) have posted two Joint Secretaries (allotted as per their quota) but quota of two Joint Secretaries allotted to the State Governments are still lying vacant. Similarly, CBIC have posted 3 Directors out of allotted 4 Director / Deputy Secretary and 5 Under Secretary (2 of them are presently on loan basis). GSTC by its earlier letter dated 13.10.2016 (copy enclosed) had requested States to send nomination from States for filling up vacancy of State quota at all levels i.e. Joint Secretary, Director, Deputy Secretary and Under Secretary.

Services-II Branch
Diary No. 155406
Date 7/12/18

कार्यालय/Office : + 91-11-23762656 | डायरेक्ट/Direct : + 91-11-21400540 | फैक्स/Fax : + 91-11-23738814
ईमेल/Email : gstc.secretariat@gov.in | वेब/Web : www.gstcouncil.gov.in

5. It is once again requested to send the applications of willing officers for appointment in the GST Council Secretariat at the earliest (but not later than 27th December, 2018) at the address, GST Council Secretariat, Tower-II, 5th Floor, Jeevan Bharti Building, New Delhi-110001 or on email address gstc.secretariat@gov.in.

Yours faithfully,

R Ranjan

(Rajeev Ranjan)
Special Secretary

Encl: As above.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2018, शनिवार/भाद्र 11—भाद्र 17, 1940

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2018, SATURDAY/ BHADRA 11— BHADRA 17, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(माल एवं सेवा कर परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, माल एवं सेवा कर परिषद सचिवालय में समूह 'क' कार्यपालक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, समूह 'क' कार्यपालक पद भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :** I. पचास प्रतिशत भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) से ऐसे अधिकारी,- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। II. पचास प्रतिशत राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,-

	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सेवा या अखिल भारतीय सेवा में समूह 'क' अधिकारी के रूप में बारह वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 1:** उपरोक्त राज्य सरकारों को आबंटित कोटा से न भरी गई शेष रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से निम्नलिखित पात्रता के अधीन रहते हुए भरी जाएगी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास समूह 'क' पद में बारह वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है जब राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) उप सचिव	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :- I. पचास प्रतिशत भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क) से ऐसे अधिकारी,- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700- 208700 रु.) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। II. पचास प्रतिशत राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सेवा या अखिल भारतीय सेवा में समूह 'क' अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 1:** उपरोक्त राज्य सरकारों को आंवटित कोटा से न भरी गई शेष रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से निम्नलिखित पात्रता के अधीन रहते हुए भरी जाएगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास समूह 'क' पद में दस वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है जब राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अवर सचिव	8* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति:** **पचास प्रतिशत भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) से ऐसे अधिकारी-** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, II. पचास प्रतिशत राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकरी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सेवा या अखिल भारतीय सेवा में समूह 'क' अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में दो वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 1:** उपरोक्त राज्य सरकारों को आबंटित कोटा से न भरी गई शेष रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से निम्नलिखित पात्रता के अधीन रहते हुए भरी जाएगी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी मे पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और **(ख) जिनके पास** समूह 'क' पद में पांच वर्ष का अनुभव है जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों में दो वर्ष का अनुभव भी है। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होगा	संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है जब राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

[फा. सं. ए-50050/280/2016-प्रशा.I]
राजेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Executive posts in the Goods and Services Tax Council Secretariat, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Council Secretariat, Group 'A' Executive Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director.	4* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' , Gazetted, Ministerial.	Level 13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation.	**Deputation:** I. Fifty per cent. from officers from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise),- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-12(Rs.78800-209200) in the pay matrix. II. Fifty per cent. from officers of the State Governments or Union Territories,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in the grade in level-12(Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent; and (b) having twelve years' experience as Group 'A' officer in the State or Union Territory service or All India service including three years' experience in matters relating to indirect taxation. **Note 1:** Vacancies remaining unfilled from the quota allocated to the State Governments above shall be filled up from the officers of the Central Government subject to the eligibility as below:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-12(Rs.78800-209200) in the pay matrix; and (b) having twelve years' experience in a Group 'A' post, including three years' experience in matters relating to indirect taxation. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer of the State Governments or Union Territories on deputation basis.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Deputy Secretary.	4* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: I. Fifty per cent. from officers from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise).- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix. II. Fifty per cent. from officers of the State Governments or Union Territories,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent; and (b) having ten years' experience as Group 'A' officer in the State or Union Territory service or All India service including three years' experience in matter relating to indirect taxation. **Note 1:** Vacancies remaining unfilled from the quota allocated to the State Governments above shall be filled up from the officers of the Central Government subject to the eligibility as below:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-11(Rs.67700-208700) in the	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer of the State Governments or Union Territories on deputation basis.

pay matrix; and (b) having ten years' experience in a Group 'A' post, including three years' experience in matter relating to indirect taxation. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Under Secretary	8* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: I. Fifty per cent. from officers from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise),- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-10(Rs.56100-177500) in the pay matrix. II. Fifty per cent. from officers of the State Governments or Union Territories,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in the grade in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent; and (b) having five years' experience as Group 'A' officer in the State or Union Territory service or All India service including two years' experience in matters relating to indirect taxation. **Note 1:** Vacancies remaining unfilled from the quota allocated to the State Governments above shall be filled up from the officers of the Central Government subject to the eligibility as below: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer of the State Governments/ or Union Territories on deputation basis.

Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and (b) having five years' experience in a Group A post, including two years' experience in matter relating to indirect taxation. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of application.		

[F. No. A/50050/280/2016-Ad.I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 289.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 को जहां तक उसका संबंध संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) के पद पर भर्ती की प्रद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) (समूह 'क') भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद- की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और वेतन मेट्रिक्स वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तभं (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।